सुप्रीम कोर्ट का फैसला : सेवन वंडर पार्क को एक माह में हटाने के आदेश

सरकार और जिला प्रशासन को अनुपालना रिपोर्ट एक माह में पेश करने के आदेश दिये

अजमेर, (कासं)। अजमेर के आनासागर भराव क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को लेकर सोमवार को सुपीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार और जिला प्रशासन को एक माह में सेवन वंडर पार्क को हटाने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट एक माह में पेश करने के आदेश दिए है। मामले में अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी। कोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा तबीजी और फॉयसागर वेटलैंड्स को लेकर पेश किए गए हलफनामे पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की।

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, जबकि याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने खुद अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवन वंडर्स पार्क को हटाने का कार्य 30 दिनों में पूरा किया जाए। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि इस पार्क को हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और 15 से 30 दिनों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पिछली सुनवाई में सरकार ने ध्वस्तीकरण और स्थानांतरण के लिए 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे एक माह के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।

- **सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि इस पार्क को हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और 15 से 30 दिन में यह कार्य पूरा कर लिया**

विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा :- कोर्ट ने सरकार से तबीजी और फॉयसागर ग्रीन क्षेत्र को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सरकार को इन वेटलैंड्स पर समुचित योजना तैयार कर अदालत के समक्ष पेश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट में नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं का विश्लेषण शामिल होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं की रिपोर्ट अगले 15 दिनों में तैयार की जाएगी। सरकार ने पहले ही तबीजी और फॉयसगर वेटलैंड्स विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ठोस योजना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार रिपोर्ट मांगी है।

झील परिधि में बने पाथवे पर भी उठे सवाल :- सुप्रीम कोर्ट ने आनासागर झील के किनारे बने पाथवे को लेकर भी सवाल उठाए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बताया कि यह पानी झील की परिधि पर बना हुआ है और यदि इसे हटा दिया गया तो झील की तलहटी और वैटलैंड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक वेटलैंड्स की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिलती, तब तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने पेश किया हलफनामा :- गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने इस मामले में 31 पेज का अतिरिक हलफनामा पेश किया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने 38 पेज का काउंटर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। 17 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फूडकोर्ट को ध्वस्त करने और दुगने क्षेत्र में वेटलैंड विकसित करने की योजना पेश करने का निर्देश दिया था। अब सरकार को विस्तृत रिपोर्ट 16 मई को पेश करने हैं।

खान विभाग के विजिलेंस ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत

हनुमानगढ़, (निसं)। खान विभाग के विजिलेंस ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत होने का मामला सामने आया है। फील्ड जांच के लिए हनुमानगढ़ आए थे।

जानकारी के अनुसार विजिलेंस ऑफिसर मुकेश मंगल टीम के साथ धन्नासर के आसपास अवैध खनन की जानकारी जुटाने पहुंचे थे। विजिलेंस ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे धन्नासर कस्बे के एक होटल में ठहरे हुए थे। सुबह सीने में तेज दर्द महसूस होने पर उन्होंने साथी स्टाफ को फोन कर सूचना दी। जब स्टाफ होटल पहुंचा तो वे बेड पर बेहोश पड़े थे। उन्हें रावतसर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

रावतसर थाने के एएसआई शीशपाल ने बताया कि विभाग में विजिलेंस ऑफिसर के पद पर कार्यरत मृतक के भतीजे बाड़ी धौलपुर निवासी ललित मंगल ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसके चाचा मुकेश मंगल (59) बीकानेर खान विभाग में विजिलेंस ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उनके पास हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की जांच का जिम्मा था। वे फील्ड जांच के लिए हनुमानगढ़ आए थे। वे धन्नासर कस्बे के एक होटल में ठहरे हुए थे। सोमवार सुबह करीब 7:10 बजे उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपने साथी स्टाफ को फोन कर सूचना दी। जब स्टाफ होटल पहुंचा तो वे बेड पर बेहोश पड़े थे। उन्हें रावतसर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई शीशपाल को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार मुकेश मंगल ने टीम के साथ पांच दिन से धन्नासर में कैंप किया हुआ था। वे आसपास के इलाके में अवैध खनन से संबंधित जानकारी जुटा रहे थे। इलाके में अवैध खनन की शिकायत के बाद टीम मौका निरीक्षण करने पहुंची थी। मुकेश मंगल धौलपुर के बाड़ी के रहने वाले थे और वर्तमान में खान विभाग बीकानेर में पोस्टेड थे। उनका इसी साल 30 नवंबर को रिटायरमेंट होने वाला था। ललित मंगल ने बताया कि मृतक दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा तलब बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वहीं, दूसरा बेटा रिशभ अक्षय पात्र जयपुर में कार्य करता है। पत्नी संगीता हाउस वाइफ है।

- **फील्ड जांच के लिए हनुमानगढ़ आए थे, रिटायरमेंट में सात महीने बचे थे**

जिम ट्रेनर ने युवती से दुष्कर्म किया

बीकानेर, (निसं)। एक फिटनेस जिम में युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे ब्लैकमेल कर 23.60 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस जिम ट्रेनर और उसके दोस्त के खिलाफ जांच कर रही है।

एक युवती जो कि फिटनेस सेंटर जाया करती करती थी। आरोप है कि जिम के ट्रेनर रणवीरसिंह और उसके दोस्त लक्की उर्फ लोकेश ने टॉयलेट में युवती की अश्लील फोटो और क्लिप बना ली। सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमैल करने लगे और रणवीर ने युवती का बार-बार देह शोषण किया।

युवती को डरा-धमकाकर उसे 23.60 लाख रुपए भी हड़प लिए। लक्की के इस काम में रणवीर का सहयोग करता रहा। रणवीर ने युवती को ब्लेकमैल कर हड़पे रुपयों से कार भी खरीद ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है जिसकी जांच एसएचओ सुरेन्द्र पचार कर रहे हैं।

- **युवती को ब्लैकमेल कर 23.60 लाख हड़पे, मामला दर्ज**

पीड़िता की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल भर पहले वह जिम जाती थी। जहां रणवीर और उसका दोस्त लक्की उस पर बुरी नजर रखते थे। रणवीर एक्ससाइज ट्रेनिंग के नाम पर उसके शरीर से छेड़छाड़ करता था। दोनों आरोपियों ने जिम के टॉयलेट में अपने मोबाइल सेट कर उसके अश्लील फोटो लिए और वीडियो बना लिया। उसके बाद वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमैल करने लगे। रणवीर उसे एरोबिक्स हॉल में ले जाकर दुष्कर्म करता और लक्की बाहर निगरानी करता।

अश्लील वीडियो बनाता था। दोनों धमकाकर रुपए मांगने लगे। डर के कारण वह घर में पिता और भाई के रुपए चोरी कर दोनों आरोपियों को देने लगी। उससे 23.60 लाख रुपए हड़प लिए। करीब 2.50 लाख रुपए ऑनलाइन दिए। रणवीर ने 26 नवंबर, 2024 को दो लाख रुपए लिए। आखिरकार परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया और पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।

डिग्गी में गिरने से दो महिलाओं की मौत

बीकानेर, (निसं)। खेतों में बनी डिग्गियां मौत का कारण बनती जा रही है। दो महिलाओं की मौत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। दोनों पैर फिसलने से डिग्गी में गिरी थी। पुलिस ने दोनों की मर्ग दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।

श्रीडूंगरगढ़ के रहने वाले राकेश कुमार मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि श्रीडूगरगढ़ के लोडेरा गांव की रोही में उसकी पत्नी मनोज कुमारी (26) की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। राकेश का कहना है कि खेत में काश्त करते समय पत्नी डिग्गी का बूस्टर चालू करने गई थी। इस दौरान पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। एएसआई राजकुमार को जांच सौंपी गई है। उधर पूगल में भी एक महिला की डिग्गी में गिरने से मौत हो गई। चार केडब्लयूएम कुम्हारवाला निवासी जसवंत सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन हउवा कुमारी डिग्गी के पास खड़ी थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डिग्गी में गिर गई। इससे उसकी मौत हो गई। उसका शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गयौ। इस मामले में भी पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। बज्जू थाना क्षेत्र में एक युवक की बाइक से गिरने से हो गई। जीतू सिंह पुत्र आशु सिंह पांच अप्रैल को रात एक बजे बाइक पर जा रहा था। रास्ते में बाइक से गिरने पर घायल हो गया। उसे तुरंत पीबीएम हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

डोडा-चूरा तस्कर को तीन साल का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में तस्कर को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

- **30 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया**

पुलिस ने डोडा-चूरा तस्करी के आरोपी को कोर्ट में पेश किया।

प्रकरण के अनुसार, बीगोद थाने के तत्कालीन प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा को 28 सितंबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अजमेर में पंजीकृत नंबर की एक पिकअप में अफीम डोडा-चूरा परिवहन कर लाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी मीणा ने त्रिवेणी चौराहे पर नाकाबंदी की। सूचना के मुताबिक आई पिकअप को चालक भगा ले गया। पुलिस ने पीछा कर पिकअप को रुकवाया। चालक से पूछताछ की तो उसने खुद को अजमेर जिले के सावर थाने के गोपालपुरा का निवासी भैंरूलाल पुत्र सुवालाल मीणा होना बताया। तलाशी लेने पर पिकअप में 48 किलो डोडा-चूरा मिला, जिसे पिकअप सहित जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बाद में पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुये रामस्वरुप गुर्जर ने न्यायालय में 7 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 69 दस्तावेज पेश कर दोष सिद्ध करवाया। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये आरोपित भैंरूलाल को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

जालोर जिला कारागृह में दो बंदी भिड़े, एक घायल

जालोर, (कासं)। जालोर जिला कारागृह में गत रविवार को किसी बात को लेकर दो बंदी आपस में भिड गये। दोनों बंदियों के बीच मारपीट में एक बंदी घायल हो गया। मारपीट की घटना के बाद घायल बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे जान का खतरा बताया।

जालोर जिला कारागृह में अव्यवस्थाओं के चलते कई शिकायत आती रहती है। जिला कारागृह में लापरवही के चलते दो बंदी जेल में ही आपस में मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद जेल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हत्या के मामले में बंद जबरसिंह निवासी शंखवाली पिछले करीब एक साल से जिला कारागृह जालोर में बंद है। वहीं आलासन निवासी सुरेश मेघवाल पिछले करीब सात माह से बंद है।

- **घटना के बाद घायल बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया**

रविवार सुबह करीब ग्यारह साढे ग्यारह बजे किसी बात को लेकर जबरसिंह व सुरेश के बीच बहसबाजी होने लगी तथा बहसबाजी हाथापाई तक पहुंच गई। सुरेश के जबरसिंह को धक्का देने से उसके दीवार के टकराने से उसके चोट लग गई। वहीं जिला कारागृह में मारपीट के घटना की सूचना पर जेल प्रशासन ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया।

जबरसिंह के मारपीट में चोट आने पर जेल प्रशासन ने इलाज के लिए जेल में नियुक्त डॉक्टरों की टीम को बुलाया, लेकिन घायल बंदी ने जेल में इलाज करने से मना करते हुए बाहर इलाज करवाने की मांग की। मारपीट की सूचना पर जबरसिंह के परिजन भी जिला कारागृह पहुंच गये तथा उन्होंने मारपीट की घटना पर रोष प्रकट करते हुए जेल प्रशासन की लापरवाही बताया। उन्होंने जबरसिंह को जान का खतरा बताया। सोमवार को सुरेश द्वारा जबरसिंह के खिलाफ मारपीट कर अनुसूचित जाति अनुसचित जन जाति धारा में मामला दर्ज करवाने की सूचना मिल रही है। बंदियों की मारपीट के बाद जेल में बंद भी सहमे गये।

जिला कारागृह जालोर की जेल उपाधीक्षक सम्पति बामणिया ने बताया कि सुरेश व जबरसिंह दोनों को अलग-अलग बैरक में ही रखा गया था। कल पानी को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी हुई थी। मामले को शांत करवा दिया गया है तथा जबरसिंह की मांग पर उसका इलाज राजकीय चिकित्सालय जालोर में करवाया गया है।

अज्ञात कारणों के चलते युवक ने आत्महत्या की

टोंक। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के माणक चोक पांच मन्दिर क्षेत्र में निवास कर रहे विकास जांगिड पुत्र प्रेमचन्द्र जांगिड उम्र 35 साल ने अज्ञात कारणो के चलते सोमवार सुबह अपने कमरे में लटक रहे पंखे से लटकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पंहुचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल सआदत चिकित्सालय टोंक की मोर्चरी में रखवाया। जहां मामले में अनुसंधान जारी है।

कुठानियां के देई माई मंदिर ट्रस्ट की सम्पत्ति के गबन का आरोप

खेतड़ी, (निसं)। कुठानियां देई माई ट्रस्ट के सचिव ने ट्रस्ट अध्यक्ष व उसके बेटे के खिलाफ जान से मारने की धमकी, ट्रस्ट के रूपए व चांदी के छत्तर व अन्य चल सम्पतियों का गबन करने का मामला दर्ज करवाया है।

थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि देई माई ट्रस्ट के सचिव मानोता जाटान निवासी लक्ष्मण सिंह राजपूत ने ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमेरसिंह भाटी व उसके बेटे जिनेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दी कि वह मंदिर श्री देई माई कुठानियां प्रन्यास का सचिव है। उक्त मंदिर का पूरा कार्य प्रन्यास द्वारा किया जा रहा है तथा मंदिर में भक्तगणों द्वारा नित्य प्रति चढ़ावा व अन्य चल सम्पतियां भेंट स्वरूप चढ़ाई जाती है। मंदिर में नित्य प्रति भक्तों की काफी भीड़ रहती है,जिससे अच्छा चढ़ावा आता है।

मंदिर में आने भक्तों की भीड़ व चढ़ावा को देखते हुए प्रन्यास के सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर में बने भंडार गृह का निरीक्षण किया गया तो प्रन्यास सदस्यों को चढ़ावे व अन्य सामग्री में कमी पाई गई। जिसके प्रश्चात प्रन्यास के सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो प्रन्यास के सदस्यों की जानकारी में यह तथ्य आया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे जैसे नकद राशि,चांदी के छत्तर व अन्य चल सम्पतियों को प्रन्यास के पूर्व अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी व उनक पुत्र जिनेश कुमार द्वारा आपस में मिलीभगत करके गबन किया जा रहा है। 15 मार्च 2025 को ट्रस्ट के सभी प्रन्यासियों द्वारा उक्त सुमेर सिंह भाटी व उसके पुत्र जिनेश कुमार से इस बारे में बात की गई तो जिनेश ने पुलिसकर्मी बताते हुए प्रन्यासियों को धमकी दी कि प्रन्यासियों द्वारा सुमेर सिंह भाटी के कार्य में रूकावट की गई तो वह सभी के हाथ-पांव तोड़ देगा और उनको झूठे मुकदमें में फंसा देगा। 15 मार्च 2025 को जिनेश कुमार अपने साथ कुल्हाड़ी व फरसा लेकर आया और प्रन्यासियों को मारने का प्रयास किया, लेकिन पूर्व अध्यक्ष का बेटा होने के कारण प्रन्यासियों ने जिनेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। प्रन्यास के सदस्यों की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए 20 मार्च 2025 को सुमेर सिंह भाटी को प्रन्यास के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।

- **कुठानियां देई माई ट्रस्ट के सचिव ने ट्रस्ट अध्यक्ष और उसके बेटे पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया**
- **पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की**

अध्यक्ष पद से हटाने के बाद भी सुमेर सिंह भाटी व उसका पुत्र जिनेश कुमार जबरन मंदिर परिसर में नित्य आते जाते है तथा मंदिर चढ़ावा व चल सम्मतियों को जबरन अपने साथ चोरी छिपे ले जाते है। विरोध करने पर उक्त लोग द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है।

25 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे सभी प्रन्यासियों व कर्मचारियों की उपस्थिति व सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मंदिर परिसर में बने सुमेर सिंह भाटी के उक्त कमरे का निरीक्षण किया तो पाया गया कि सुमेर सिंह भाटी व उसके पुत्र जिनेश कुमार द्वारा मंदिर में आने वाले चढ़ावे, नकद धनराशि व चांदी के छत्तर व अन्य चल सम्पतियों को अपने साथ ले गए। उक्त लोगों ने षडयंत्र पूर्वक मंदिर में चढ़ावा के रूप में आने वाली नकद राशि, चांदी के छत्तर व अन्य चल सम्पतियों का गबन कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इससे पूर्व सुमेर सिंह की ओर से भी कोषाध्यक्ष व अन्य के खिलाफ मारपीट करने व गबन करने का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज मामले की गहनता से जांच कर रही है।

कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के खुले परिसर में आग लगी

कोटा, (निसं)। राजस्थान के कोटा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन के स्टोर में आग लगने का मामला सामने आया है। इसकी सूचना पर नहर निगम के अग्निशमन अनुभाग सहित अन्य 15 दमकल मौके पर पहुंची। यह आग खुले परिसर में बने हुए स्टोर में लगी है जहां पर केमिकल से लेकर कई मशीनरी के सामान भी पड़े हुए थे। आग ने इन सबको अपनी जद में ले लिया है। आग करीब डेढ़ घंटे से फैली हुई है और लगातार बढ़ रही है। आग के कारण थर्मल को बड़ा आर्थिक नुकसान हो चुका है।

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास का कहना है कि आग करीब सवा दो बजे आग लगने की सूचना थर्मल से मिली थी। इसके बाद साथ दमकल गाड़ियां नगर निगम की रवाना की है। जबकि तीन दमकल की गाड़ियां थर्मल की भी मौके पर थीं और आग बुझाने में लगी हुई रही। आग स्टोर परिसर में लगी है। राकेश व्यास का कहना है कि हमारी टीम सोमवार को 2.30 बजे के आसपास पहुंच गई थी। आग बुझाने का प्रयास कर रहे। राकेश व्यास का कहना है कि मौके पर 15 दमकल और 10 टैंकर आग बुझाने में जुटे। फायर ब्रिगेड में 10 नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण, डीसीएम व सिविल डिफेंस की एक-एक साथ ही तीन थर्मल की दमकल शामिल थीं। जहां आग लगी है, वहां थर्मल में काफी बड़ा स्टोर है। यह खुले परिसर के साथ-साथ कुछ बिल्डिंग में भी बना हुआ है। आग खुले परिसर में लगी थी। इसमें टायर, स्क्रेप, पुरानी गाड़ियां, लकड़ी, केमिकल, रबर व वायर से लेकर काफी सामान यहां पर पड़ा हुआ है। इसमें पुरानी मशीनरी भी है। हमने यहां पर मैकेनिक फोम भी करीब 200 से 300 किलो डाला। आग लगने की सूचना पर प्रशासन भी अलर्ट हो गया। मौके पर एडीएम कृष्णा शुक्ला पहुंची। इसके अलावा थर्मल के वरिष्ठ इंजीनियर भी मौके पर मौजूद रहे। थर्मल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसफ भी मौके पर रही। आग काफी बड़े एरिया में फैली हुई थी।

जिसकी लपटें दूर तक देखने को मिल रही थीं। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।

ठगों ने किसान के पैन कार्ड से फर्जी कंपनी बनाई, 143 करोड़ का लेन-देन किया

पीड़ित किसान को मामले की जानकारी आयकर विभाग से मिले नोटिस के बाद पता चली

अजमेर, (कासं)। अजमेर के सरवाड़ में किसान के साथ सायबर ठगी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने किसान के पैन कार्ड से फर्जीवाड़ा कर कंपनी बनाई और 143 करोड़ रुपए का लेनदेन किया। पीड़ित किसान को इसकी जानकारी आयकर विभाग से मिले नोटिस के बाद पता चली। पीड़ित किसान सोमवार को न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाते हुए शातिर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार अजमेर जिले के सरवाड़ निवासी रामराज चौधरी ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई।

- **पीड़ित किसान न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचा, शातिर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की**
- **पैन कार्ड से नीतिया एक्जिम नाम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी खोली गई, जिसका कोटक महिंद्रा बैंक में खाता भी खोला गया था**

एसपी को सौंपे ज्ञापन में पीड़ित किसान रामराज ने बताया कि उसे 3 अप्रैल को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला, जिसमें उसे जानकारी हुई कि उसके पैनकार्ड का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की गई है। पैनकार्ड से नीतिया एक्जिम नाम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी खोली गई, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक में खाता भी खोला गया जिसकी उसे जानकारी नहीं है और न ही उसने महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है।

पीड़ित किसान रामराज ने बताया कि वह कभी मुंबई भी नहीं गया और उसके नाम से कोई फर्म नहीं बनवाई है। वह सिर्फ 12वीं पास किसान है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी उसे नोटिस मिलने के बाद मिली थी। जब वह आयकर विभाग पहुंचा और आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी कि उसका कोई लेनदेन नहीं है और न ही उसने कोई खाता और और न ही उसने कोई कंपनी खोली है।

पीड़ित किसान।

143 करोड़ रुपए क ट्रांसजेक्शन :-पीड़ित किसान रामराज ने बताया कि उसके पैनकार्ड से दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी बनाकर 143 करोड रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। इतनी बड़ी राशि लेनदेन उसके लिए संभव है। इस फर्जीवाड़े के कारण परेशान है,जब वह इसकी शिकायत देने संबंधित थाने और सायबर थाने पहुंचा तो उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रामराज ने कहा कि सोमवार को अजमेर एसपी वंदिता राणा को शिकायत पत्र देकर शातिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हिस्ट्रीशीटर सहित दो गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। पचेरी कलां पुलिस ने शराब ठेका बंद करवाने के लिए आम रास्ता बंद करने के मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

थानाधिकारी राजपाल सिंह यादव ने बताया कि पुलिस को सुचना मिली की ग्राम सोहली से दुलोठ की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग शराब के ठेके को लेकर प्रर्दशन कर रहे हैं। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ग्राम सोहली से दुलोठ जाने वाले रास्ते पर 7-8 व्यक्ति बैठे थे जिनसे जानकारी की गयी तो बताया कि ग्राम सोहली में शराब ठेका बन्द होना चाहिए नहीं यह रास्ता बन्द कर दिया जाएगा।

इस दौरान पुलिस द्वारा समझाइश करने पर कुछ व्यक्ति तो मान गए, लेकिन हिस्ट्रीशीटर अनूज उर्फ पप्पू पुत्र रामप्रताप निवासी सोहली, महेन्द्र पुत्र भगवानसिंह नहीं माने। उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह रास्ता खोलने की बजाय पुलिस से उलझने लगे। इस दौरान पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने लिए एचएस अनुज ऊर्फ पप्पु व महेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया।

BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY
Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner-334004
Ref. No. : F34/BTU/Store/Vehicle_hire-00139 Date : 05/04/2025

Notice Inviting Bid

Bikaner Technical University invites following bids:

Sr. No.	Particulars	Estimated Cost	NIB No.	UBN No.	Last Date & Time
1.	Data Processing Work	110.00 Lacs	BTU2526 A0001	BTU2526 SLOB00001	25.04.2025 up to 5.00 pm.
2.	Hiring of Vehicles as and when Required	17.70 Lacs	BTU2526 A0002	BTU2526 SLOB00002	15.04.2025 up to 5.00 pm.

Others particulars of the bids can be find on the procurement portal https://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in of the state and Bikaner Technical University website www.btu.ac.in.

Raj.Samwad/C/25/334 Registrar

कार्यालय नगर परिषद बारां
E-Mail : nagarpalikabaran@gmail.com स्टेशन रोड, बारां (राज0) Phone : 07453-230106
क्रमांक :- न.प.बा./स्टोर/2025/109 दिनांक :- 04.04.2025

निविदा सूचना संख्या : .01/2025-26

नगर परिषद बारां द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इस कार्यालय के टेन्ट व्यवस्था/अस्थायी लाईट डेकोरेशन/इमर्जेन्सी जनरेट लाईट सहित/15 अगस्त 26 जनवरी अल्पाहार व्यवस्था/कम्प्यूटर ऑपरेटर सप्लाई /लाईट के समान सप्लाई/ स्टेशनरी प्रिन्टिंग ओर फलेक्स प्रिन्टिंग/माईक साउण्ड व्यवस्था/LED WALL और माईक व्यवस्था/सम्बर्सिबल मोटर पेनल रिपेयर कार्य मोटर लोरिंग अनलोरिंग कार्य/साफाई के सामान कय/कायना हाउस भूसा कय/सभी रोड लाईट रिपेयर कार्य हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा से सम्बन्धित नियम/शर्तें वेब पार्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देख सकते है। निविदायें hrrp://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। अनुमानित लागत 10 लाख से 30 लाख तक।

1. DLB2526SLOB00447
2. DLB2526SLOB00448
3. DLB2526WSOB00451
4. DLB2526SLOB00453
5. DLB2526SLOB00454
6. DLB2526GSLOB00455
7. DLB2526GLOB00456
8. DLB2526WSOB00459
9. DLB2526WSOB00460
10. DLB2526WSOB00462
11. DLB2526WSOB00463
12. DLB2526GSOB00465
13. DLB2526SLOB00467

आयुक्त
नगर परिषद बारां
राज.संवाद/सी/25/357